न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

.प्रकरण संख्या 07 / 2020

अनवान

1. मनोज कुमार पुत्र श्री हीरालाल सोनगरा निवासी 3 यू 28 पटेलनगर भीलवाडा तह व जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. भोना पुत्र श्री नोला बलाई, निवासी देवली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. मिठ्ठूलाल पुत्र देबीलाल बलाई निवासी देवली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. भेरू पुत्र देबी बलाई निवासी देवली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. सुवालाल पुत्र देबी बलाई, निवासी देवली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. केशी पत्नी श्री रामचन्द बलाई निवासी देवली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. दुर्गा पुत्र रामचन्द्र बलाई निवासी देवली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. जोधा पुत्र भवाना भील निवासी देवली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. बालू पुत्र भवाना भील निवासी देवली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. मदन पुत्र भवाना भील निवासी देवली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
10. मांगी पत्नी भवाना भील निवासी देवली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
11. रामलाल पुत्र भवाना भील निवासी देवली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
12. लाला पुत्र भवाना भील निवासी देवली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 31—08—2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूॅ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 09.01.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम देवली पटवार हल्का देवली भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बरडोद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 302 की कृषि भूमि की आ.न. 1787 / 548 रकबा 0.2023 है0 आराजी नम्बर 549 रकबा 0.3794 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5817 है0 एवं खाता संख्या 91 आराजी 534 रकबा 0.9104 है आराजी नम्बर 535 रकबा 0.8220 कुल किता 02 रकबा 1.7324 है भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.01.2020 को पंजीबद्व किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 1 से 9 व 12 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 10,11 बाद / अदम तामील अप्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 10,11 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 10,11 का नाम डिलीट / विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम देवली पटवार हल्का देवली भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र [illegible] में उसके खाते की खाता संख्या 302 की कृषि भूमि की आ.न. 1787 / 548 रकबा [illegible] आराजी नम्बर 549 रकबा 0.3794 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5817 है0 एवं खाता संख्या [illegible] आराजी 534 रकबा 0.9104 है आराजी नम्बर 535 रकबा 0.8220 कुल किता 02 रकबा 1.7324 है भूमि** [illegible] जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के [illegible] जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 700 / —पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500 / —रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.09.10 15:59:21 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)